राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः प–2(17)रामले/स्था/2016/ 49 दिनांक : 18/01/2022

–:: आदेश संख्या–03/2022 ::–

वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांकः एफ.1(16)एफ.डी./नियम–98 दिनांकः 24.05.2007 के अनुसरण में निम्नांकित राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत किया जाता हैं :–

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पद	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	जन्मतिथि	सेवानिवृति दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री कैलाशचन्द्र भदादा	सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–I	कलेक्ट्रेट,राजसमन्द	10..06.1962	30..06.2022
2	श्री सुशील कुमार सोनी	सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–II	कलेक्ट्रेट,सीकर	14.02.1962	28.02.2022
3	श्री सलविन्द्रसिंह मुत्ती	तहसील राजस्व लेखाकार	कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर	05.06.1962	30..06.2022
4	श्री अमराराम चौधरी	सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–II	कार्यालय स. आयुक्त जोधपुर	14.01.1962	31.01.2022

उपरोक्त समस्त कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 06 में अंकित दिनांक को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत किया जाता है।

साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिकों के विरूद्ध आज तक :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नही है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

17/1/22

(डा.मोहनलाल यादव)
निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः सम/ 50-65 दिनांक : 18/01/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–निजी सचिव, मान0 अध्यक्ष महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2–निजी सहायक, निबंधक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
3–संभागीय आयुक्त जोधपुर
4–जिला कलक्टर– राजसमन्द/सीकर/गंगानगर
5–वरिष्ठ लेखाधिकारी (आय), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6–संयुक्त निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग–जयपुर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर
7–संयुक्त निदेशक (एस.ए.) को राजस्व मण्डल की वेबसाईट पर अलपोड करने हेतु ।
8. श्री सहा. राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–I एवं II /तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा सं.आ./ जिला कलक्टर.....
9. प्रभारी अधिकारी गोपनीय शाखा/विभागीय जांच शाखा राजस्व मण्डल , अजमेर ।
10. आदेश /निजी पत्रावली ।

अतिरिक्त निबंधक(वित्त एवं लेखा)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर